प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 12.09.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा लेने का अपराध कारित करनें के आरोप में 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त 1.अफजल अंसारी व 2. ताहीर खान को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण/पूछताछ-

दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर बजाज आलियांज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी होने के संबंध में वादी मुकदमा से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 विरूद्ध डिसेन्ट हास्पिटल के संचालक, एपेक्स हास्पिटल के संचालक व मनीष वर्षने के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। कंपनी के बीमा धारक एक व्यक्ति के नाम पर एपेक्स अस्पताल व डिसेन्ट अस्पताल में एक फर्जी मरीज को भर्ती कराकर हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर बीमा धारित व्यक्ति के नाम पर खोले गए कूटरचित बैंक खाते में 01,80,672 रुपये लिया गया। बीमा धारित व्यक्ति बताए गए अस्पताल में कभी भर्ती नहीं हुए थे और एपेक्स नाम का अस्पताल अस्तित्व में नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अफजल अंसारी पुत्र युनुस अंसारी निवासी नर्रे बुजुर्ग थाना गगहा गोरखपुर
2. ताहीर खान पुत्र बरकतुल्लाह निवासी गेहुआसागर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी विवरण-

02 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 आनन्द उपाध्याय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।
3. का0 अतुल रजक थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।